सख्या- 79 /2016/2345/33-3-2016-100(11)/2016

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 18 अक्टूबर, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-14 में पंचायत उद्योग केन्द्रों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा कार्यशाला की मरम्मत एवं निर्माण हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से स्वीकृत धनराशि क्रमशः रू. 750 लाख एवं रू. 750 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/3275/2016-5/196(ए)/2016 दिनांक 05.09.2016तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016 /बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/ 2016 दिनांक 22.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक आयोजनागत लेखाशीर्षक2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101 पंचायतीराज-आयोजनागत-19-पंचायत उद्योग केन्द्रों को सहायता-20 सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत रू. 750 लाख एवं अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक आयोजनागत लेखाशीर्षक2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101 पंचायतीराज-आयोजनागत-19-पंचायत उद्योग केन्द्रों को सहायता-35- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के अन्तर्गत रू. 750 लाख इस प्रकार कुल रू. 1500 लाख प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि रू. 1500 लाख (रू. पन्द्रह करोड मात्र) को संलग्न जनपदवार फाण्ट के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/ 2016 दिनांक 22.08.2016में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभागाध्यक्ष अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

http://shasnadesh.up.nic.in

(4) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तोकी पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक आयोजनागत लेखाशीर्षक2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101 पंचायतीराज-आयोजनागत-20-पंचायत भवनों की वाल पेन्टिंग-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मद एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों, मानकों के अनुरूप किया जायेगा।धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा, धनराशि जिन कार्य/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन हेतु इसका व्यय किया जायेगा, किसी अन्य मद में व्यय/व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।निर्माण संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अधीन धनराशि व्यय की जायेगी।योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली सामग्री आदि का क्रय संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

3-यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2 के अशासकीय पत्र संख्या-यू.ओ.ई-2/958/x-2016 दिनांक 18.10.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0/मुख्य विकास अधिकारी

3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

http://shasnadesh.up.nic.in

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में अनुदान संख्या १४ योजनागत मद में पंचायत उद्योग केन्द्रों की कार्यशाला की मरम्मत एवं निर्माण हेतु लेखाशीर्षक "२५१५-अन्यग्राम विकास कार्यक्रम -१०१-पंचायतीराज-१९-पंचायत उद्योग केन्द्रों को सहायता-३५ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"

SN	Divison/District	Amount Proposed to be Allocated to the District (In Rs Lakh)
1	**Aligarh**	
1	Aligarh	10.00
2	Etah	10.00
3	Hathras (MMN)	10.00
4	Kasganj (Kanshiram Nagar)	10.00
2	**Agra**	
1	Agra	10.00
2	Firozabad	10.00
3	Mainpuri	10.00
4	Mathura	10.00
3	**Azamgarh**	
1	Azamgarh	10.00
2	Ballia	10.00
3	Mau	10.00
4	**Allahabad**	
1	Allahabad	10.00
2	Kaushambi	10.00
3	Fatehpur	10.00
4	Pratapgarh	10.00
5	**Kanpur**	
1	Kanpur Nagar	10.00
2	Kanpur Dehat	10.00
3	Etawah	10.00
4	Farrukhabad	10.00
5	Kannauj	10.00
6	Auraiya	10.00
6	**Gorakhpur**	
1	Gorakhpur	10.00
2	Deoria	10.00
3	Kushinagar	10.00
4	Maharaj Ganj	10.00
7	**Chitrakoot (Banda)**	
1	Hamirpur	10.00
2	Banda	10.00
3	Chitrakoot	10.00

http://shasnadesh.up.nic.in

4	Mahoba	10.00
8	**Jhansi**	
1	Jhansi	10.00
2	Jalaun	10.00
3	Lalitpur	10.00
9	**Devipatan Gonda**	
1	Gonda	10.00
2	Bahraich	10.00
3	Balrampur	10.00
4	Shrawasti	10.00
10	**Faizabad**	
1	Faizabad	10.00
2	Ambedkar Nagar	10.00
3	Barabanki	10.00
4	Sultanpur	10.00
5	Amethi	10.00
11	**Bareilly**	
1	Bareilly	10.00
2	Budaun	10.00
3	Pilibhit	10.00
4	Shahjahanpur	10.00
12	**Basti**	
1	Basti	10.00
2	Siddharth Nagar	10.00
3	Sant Kabeer Nagar	10.00
13	**Moradabad**	
1	Moradabad	10.00
2	Rampur	10.00
3	Bijnaur	10.00
4	Sambhal	10.00
5	Amroha	10.00
14	**Lucknow**	
1	Lucknow	10.00
2	Hardoi	10.00
3	Unnao	10.00
4	Raibareilly	10.00
5	Sitapur	10.00
6	Lakimpur Kheri	10.00
15	**Varanasi**	
1	Varanasi	10.00
2	Jaunpur	10.00
3	Ghazipur	10.00
4	Chandauli	10.00

http://shasnadesh.up.nic.in

16	**Vindhyachaldhaam**	
1	Mirzapur	10.00
2	Bhadohi	10.00
3	Sonebhadra	10.00
17	**Meerut**	
1	Meerut	10.00
2	Bulandshahar	10.00
3	Gazhiabad	10.00
4	Hapur	10.00
5	Gautam Buddh Nagar	10.00
6	Bagpat	10.00
18	**Saharanpur**	
1	Shaharanpur	10.00
2	Muzaffarnagar	10.00
3	Shamali	10.00
	Total	**750.00**

http://shasnadesh.upnic.in